

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(22)/योजना/बजटघोषणा./2019-20/

दिनांक

निदेशक
पशुपालन विभाग,
जयपुर।

विषय:- संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के संबंध में।

संदर्भ:- बजट घोषणा 2019-20 एवं शासकीय स्वीकृति क्रमांक एफ.वी.1(2)(20)/योजना/बजटघोषणा/2019-20/2292 दिनांक 13.09.19

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-28 की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 400 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संस्था विहिन ग्राम पंचायतों में खोले जाने हैं। इस संबंध में निम्नलिखित 26 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	जिला	विधानसभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम जंहा नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोला जाना है।
1	भीलवाडा	सहाडा-रायपुर	बागौलिया	बाडी
2	भीलवाडा	सहाडा-रायपुर	गणेशपुरा	गणेशपुरा
3	जयपुर	विराटनगर	खेलना	खेलना
4	जयपुर	विराटनगर	जौधूला	जौधूला
5	जयपुर	बगरू	ठिकरिया	ठिकरिया
6	जयपुर	बगरू	जगन्नाथपुरा	जगन्नाथपुरा
7	जयपुर	जमवारामगढ	इन्द्रगढ	रामपुरा उर्फ बादियावाला
8	जयपुर	कोटपूतली	खेडकीवीरभान	खेडकीवीरभान
9	जयपुर	कोटपूतली	कंवरपुरा	कंवरपुरा
10	जयपुर	झोटवाडा	जोरपुरा-जोबनेर	जोरपुरा
11	करौली	टोडाभीम	मंडेरू	कदम खुण्डी
12	करौली	टोडाभीम	ढहरिया	ढहरिया
13	करौली	हिण्डौन	सिकरौदा मीना	सिकरौदा मीना
14	करौली	हिण्डौन	नगलामीना	नगलामीना
15	करौली	करौली	मोठियापुरा	मोठियापुरा
16	करौली	करौली	गुनसार	कुतकपुर
17	कोटा	सांगोद	अमरपुरा	अमरपुरा
18	कोटा	पीपल्दा	रानोदिया	रानोदिया
19	कोटा	पीपल्दा	जटवाडा	जटवाडा

20	कोटा	सांगोद	खजूरी	खजूरी
21	सवाईमाधोपुर	बामनवास	निमोद राठौद	निमोद राठौद
22	सवाईमाधोपुर	बामनवास	थडौली	थडौली
23	बूंदी	हिण्डोली	सादेडा	सादेडा
24	बूंदी	हिण्डोली	सहसपुरिया	सहसपुरिया
25	धोलपुर	बाडी	धीमरी	टोडपुरा
26	धोलपुर	बसेडी	धौर्य	धौर्य

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 151900590 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की गयी है।

उक्त सूची में जिन स्थानों पर पूर्व में एकीकृत पशुधन विकास केन्द्र स्वीकृत है, उन्हें सम्बन्धित जिला संयुक्त निदेशक जे.के ट्रस्ट के प्रतिनिधी से चर्चा कर अन्य संस्था विहिन ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित कर निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त स्थानों पर नवसृजित उपकेन्द्रों के उपयोग हेतु राजकीय भवन की अनुपलब्धता की स्थिति में भवन की निःशुल्क सुविधा स्थानीय निकाय/संस्थाओं/जनप्रतिनिधियों/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है।

(विरेन्द्र सिंह)

शासन उप सचिव

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(22)/योजना/बजट घोषणा./2019-20/2817-23 दिनांक 22.11.2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक वित्त (बजट), वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, जयपुर।
7. रक्षित पंजिका।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग

क्रमांक:-एफ.वी.1(2)(22)/योजना/बजट घोषणा./2019-20/2824-53 दिनांक 22.11.2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय पशुपालन विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक, उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा/दवा प्रकोष्ठ/मोनिटरिंग, निदेशालय पशुपालन विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा पशुपालन विभाग।
4. संयुक्त निदेशक, भीलवाडा/जयपुर/करौली/कोटा/सवाईमाधोपुर/बूंदी/धौलपुर पशुपालन विभाग, को प्रेषित कर लेख है कि यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त केन्द्रों से संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी भी ग्राम में पूर्व से कोई विभागीय संस्था स्वीकृत नहीं है।
5. संयुक्त निदेशक सांख्यिकी/प्रजनन एवं गौशाला निदेशालय पशुपालन विभाग।
6. उप निदेशक विस्तार/कम्प्यूटर शाखा निदेशालय, पशुपालन विभाग।
7. प्रभारी संस्थापन अ, ब-1,2 स 1,2 संख्याबल, सामान्य, निदेशालय पशुपालन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(योजना)